



HEAD OFFICE  
Uttarakhand Pollution Control Board  
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"  
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun  
E-mail : msukpcb@yahoo.com

6

Letter No.: UKPCB/HO/Gen-183-773/2024/ 653,

Date: 06.08.2024

**BY E-MAIL**

To,

The Registrar General  
Hon'ble National Green Tribunal  
Principal Bench, New Delhi  
Email: [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in)

Sub.: Factual Report of Joint Committee in the matter of Original Application No. 211 of 2024 titled as "Sanjay Agarwal Vs. State of Uttarakhand & Ors." - reg.

Sir,

Kindly refer to the order dated 09.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of **Original Application No. 211 of 2024** titled as "**Sanjay Agarwal Vs. State of Uttarakhand & Ors.**". In Compliance of order passed by the Hon'ble NGT, please find enclosed herewith Factual Report of Joint Committee in the aforesaid matter.

You are requested to kindly take Factual report of Joint Committee into record and place before the Hon'ble Tribunal for kind consideration please.  
Encl.: As above.

Sincerely Yours'

  
(Dr. Parag Madhukar Dhakate)  
Member Secretary

**Copy to:** Following for kind information and necessary action please.

1. Shri Mukesh Verma, Advocate & Counsel for Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun.
2. Additional Secretary, Department of Environment Conservation & Climate Change, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital).

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-211/2024 Sanjay Agarwal Vs. State of Uttarakhand & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.05.2024 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-211/2024 Sanjay Agarwal Vs. State of Uttarakhand & Ors. में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 09.05.2024 में प्रकरण जनपद टिहरी के मौजा तपोवन, पट्टी धमान्द्रस्यू परगना व तहसील नरेन्द्रनगर में अवैध बहुमंजिला अपार्टमेंट के निर्माण के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

1. जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
3. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग, देहरादून

तत्कम में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्य को नामित किया गया,

1. उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर एवं नामित अन्य सदस्य।
2. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्री दरमियान सिंह असवाल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड तृतीय, मुनि की रेती।

नामित सदस्यों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.06.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया। (उपस्थिति संलग्न)।

निरीक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत स्थल पर छः भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1.

क्र0सं0	भवन स्वामी का नाम	कुल निर्मित क्षेत्र	जिला विकास प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति की स्थिति
1.	श्री राजेश अग्रवाल/ अन्य, तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली	1061.40 वर्गमीटर	उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो0/ऋषि0/87/2017-18, दिनांक 03.11.2017 द्वारा वाद योजित है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही/सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+4 तल निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 14.50 मी0 एवं गहराई 18.30 मी0 तथा कुल क्षेत्रफल 265.35 वर्ग मी0 है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1061.40 वर्गमीटर है। उक्त भवन में एस0टी0पी0 नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-111/जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25, दिनांक 22.06.2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को दिनांक 08.07.2024 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गई है।
2.	स्व0 श्रीमती शोभा सिंह/नरेन्द्र बलूनी, तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली	738.68 वर्गमीटर	उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो0/टि0/40/2020-21, दिनांक 08.07.2020 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गई है।

DM  
A.E. I.D.  
Narendranagar

RiL

			G+4 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसतन चौड़ाई 20.75 मी० एवं औसत गहराई 8.90 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 180.67 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 738.68 वर्गमीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-110/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक 22.06.2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।	
3.	श्री अतुल नेहरा एवं अन्य, तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली	846.35 वर्गमीटर	उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0023/2023, दिनांक 08.12.2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसतन चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 18.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 169.27 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 846.35 वर्गमीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-109/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक 22.06.2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गई है।
4.	श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य, तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली	2362.50 वर्गमीटर	उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0023/2023, दिनांक 08.11.2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 25.00 मी० एवं गहराई 18.90 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 472.50 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 2362.50 वर्गमीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-108/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक 22.06.2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गई है।
5.	श्री रंजन गुप्ता/श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/श्री अमित आदि, तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली	1278.75 वर्गमीटर	उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0014/2023, दिनांक 21.08.2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 15.80 मी० एवं गहराई 16.50	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गई है।

DA  
A.E. 2-D.  
Narendranagar

Rin2

de


			मी० तथा कुल क्षेत्रफल 255.75 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1278.75 वर्गमीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-86/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक 13.06.2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।	
6.	श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा, तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली	908.10 वर्गमीटर	उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/R/0008/2021, दिनांक 12.10.2021 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 19.85 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 181.62 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 908.10 वर्गमीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-107/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक 22.06.2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।	स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गई है।

- जिला विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त भवन के निर्माण के लिये मात्रचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के उपरान्त उपरोक्त सभी सम्पत्तियों पर कार्यवाही विचाराधीन है।
- निर्मित परिक्षेत्र के अनुसार उक्त सभी भवन हरित श्रेणी में वर्गीकृत है, जिसके निर्माण हेतु जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।
- डेक्कन वैली क्षेत्र में घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सीवर लाइन निर्मित है, जिसका सत्यापन जल संस्थान द्वारा किया गया है। निर्मित भवनों में एस०टी०पी० का निर्माण नहीं किया गया है।
- निर्मित भवनों के पीछे की तरफ बरसाती नाला है। राजस्व विभाग द्वारा नाले के सीमांकन एवं अतिक्रमण के सम्बन्ध में मापन/सीमांकन का कार्य किया जा रहा है, जो कि बरसात के कारण पूर्ण नहीं हुआ है।


उपरोक्त सभी भू-स्वामियों द्वारा जिला विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवनों का निर्माण किया गया है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्माण हेतु जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
(दरमियान सिंह असवाल)  
सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड तृतीय,  
मुनि की रेती।

  
(डा० आर०के० चतुर्वेदी)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
देहरादून

  
उप जिलाधिकारी  
नरेन्द्र नगर





कार्यालय, सहायक अभियन्ता, सब-डिविजन (गंगा),  
उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश  
निकट अशोका होटल, हीरालाल रोड ऋषिकेश, देरादून ।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
साकेत कॉलोनी, धर्मपुर, नेहरू कॉलोनी,  
देहरादून ।

पत्रांक 143 / तपो0जलो0यो0 / 2024-25

दिनांक 02/07/24

विषय:- तपोवन स्थित निर्माणधीन छ: भवनों के सीवेज सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक आपसे हुयी फ़ोन पर वार्ता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा व्हट्सएप्प के माध्यम निम्न भवनों की सीवर सम्बन्धी आख्या चाही गई है।

1. श्री राजेश अग्रवाल, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
2. स्व0 श्रीमती शोभा सिंह/श्री नरेन्द्र बलूनी, घुघत्यानी तल्ली डीकॉन वैली तपोवन।
3. श्री अतुल नेहर, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
4. श्री दीपक कण्डारी, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
5. श्री रंजन गुप्ता/ श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/ श्री अमित, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।
6. श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा, घुघत्यानी तल्ली, डीकॉन वैली, तपोवन।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन नेटवर्किंग उपलब्ध है तथा उक्त निर्माणधीन भवनों को सीवर से संयोजित किया जा सकता है।

भवदीय

  
(हरीश कुमार बंसल)  
सहायक अभियन्ता

## निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री राजेश अग्रवाल/अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो0/त्रघषि0/87/2017-18, दिनांक-03/11/2017 द्वारा वाद योजित है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही/सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+4तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 14.50 मी0 एवं गहराई 18.30 मी0 तथा कुल क्षेत्रफल 265.35 वर्ग मी0 है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1061.40 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस0टी0पी0 नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-111/जि0स्त0वि0प्रा0/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को दिनांक-08-07-2024 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

### निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0027/2023, दिनांक-08/11/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 25.00 मी० एवं गहराई 18.90 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 472.50 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 2362.50 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-108/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

## निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री रंजन गुप्ता/श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/श्री अमित आदि का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या- UCMS/TSN/C/0014/2023, दिनांक-21/08/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 15.80 मी० एवं गहराई 16.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 255.75 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1278.75 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-86/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-13-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/R/0008/2021, दिनांक-12/10/2021 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 19.85 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 181.62 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 908.10 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-107/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

### निरीक्षण आख्या

महोदय,

स्व० श्रीमती शोभा सिंह/नरेन्द्र बलूनी का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो०/टि०/४०/२०२०-२१, दिनांक-०८/०७/२०२० द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+४तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई २०.७५ मी० एवं औसत गहराई ८.९० मी० तथा कुल क्षेत्रफल १८४.६७ वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल ७३८.६८ वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-११०/जि०स्त०वि०प्रा०/२०२४-२५, दिनांक-२२-०६-२०२४ द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

## निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री अतुल नेहरा एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0023/2023, दिनांक-08/12/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 18.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 169.27 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 846.35 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-109/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण  
टिहरी, नरेन्द्रनगर।